ऑन लाईन नं. GCMS 2022/296

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 38 / 2022

श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तत्कालिन कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

—आवेदक

बनाम

1. मुरारी लाल मित्तल पुत्र श्री काशीराम मितल, खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स— बालाजी इन्टरप्राईजेज, 1 ए, छोटी, पुरानी धानमंडी, श्रीगंगानगर।
2. आयुषी गुप्ता पुत्री श्री मुकेश गुप्ता, मालिक, मै. राजेन्द्र ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर, 2—3, गणपति नगर श्रीगंगानगर।
3. श्री प्रकाश कुमार केशवलाल पटेल पुत्र श्री केशवलाल पटेल, भागीदार, मैसर्स रजवाड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स, मिलकत नं. 14 / 176, सर्वे न. 1125 / 4, एफ—1, पर्थ एग्रो, कामली, तह. उंझा, मेहसाना, गुजरात।
4. श्री नीरव प्रकाश कुमार पटेल पुत्र श्री प्रकाश कुमार पटेल, भागीदार, मैसर्स रजवाड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स, मिलकत नं. 14 / 176, सर्वे न. 1125 / 4, एफ—1, पर्थ एग्रो, कामली, तह.उंझा, मेहसाना, गुजरात।
5. मैसर्स रजवाड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स, मिलकत नं. 14 / 176, सर्वे न. 1125 / 4, एफ—1, पर्थ एग्रो, कामली, तह.उंझा, मेहसाना, गुजरात।

—अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51,58

निर्णय दिनांक: 09.01.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.11 के गजट में भाग 2 (क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश कमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 475 दिनांक 10.08.11 द्वारा केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर में पदस्थापित है। परिवादी का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य का है जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक अप्रेल 11, 2012 के गजट में भाग 2 (क) पर प्रकाशित हुआ है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17 / 06 / 2022 को समय 11.00 एएम पर **मैसर्स बालाजी इन्टरप्राईजेज, 1 ए, छोटी. पुरानी धान मण्डी, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे, वहां पर **श्री मुरारी लाल मित्तल पुत्र स्व० श्री काशी राम मित्तल** मिले, श्री मुरारी लाल मित्तल को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री मुरारी लाल मित्तल ने स्वंय को मैसर्स बालाजी इन्टरप्राईजेज, 1 ए, छोटी, पुरानी धान मण्डी, श्रीगंगानगर का खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, स्वंय व मालिक के आधार कार्ड तथा आगामी खरीद बिल की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियों प्रस्तुत कि जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध Cow Ghee (Amrut) के 500 एमएल जार के 30 पीस रखे हैं के अमानक का शक होने पर 500 एमएल के 4 जार Cow Ghee (Amrut) खाद्यकारोबरकर्ता श्री मुरारी लाल मित्तल को सूचित करते हुये वास्ते नमूना जाँच खरीदा, जिसकी कीमत श्री मुरारी लाल मित्तल को 700/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबरकर्ता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबरकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मुरारी लाल मित्तल एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता श्री मुरारी लाल मित्तल को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Cow Ghee (Amrut) 500 एमएल के जारों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1528** दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबरकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. जयपुर प्रथम की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–1528** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबरकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मुरारी लाल मित्तल एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एंव चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S.-/744/Act/2022/744 Dated 08.06.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1528 Sub-Standard Food & Contravenes Regulation No.2.3.7(2)** होना पाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु सूचित किया, खाद्योकारोबारकर्ता ने पुनः जांच करने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्तगण

1. मुरारी लाल मित्तल पुत्र श्री काशीराम मित्तल, खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स– बालाजी इन्टरप्राईजेज, 1 ए. छोटी, पुरानी धानमंडी, श्रीगंगानगर।
2. आयुषी गुप्ता पुत्री श्री मुकेश गुप्ता, मालिक, मै. राजेन्द्र ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर 2–3, गणपति नगर श्रीगंगानगर।
3. श्री प्रकाश कुमार केशवलाल पटेल पुत्र श्री केशवलाल पटेल, भागीदार, मैसर्स रजवाड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स, मिलकत नं. 14/176, सर्वे न. 1125/4, एफ–1, पर्थ एग्रो, कामली, तह. उंझा, मेहसाना, गुजरात।
4. श्री नीरव प्रकाश कुमार पटेल पुत्र श्री प्रकाश कुमार पटेल, भागीदार, मैसर्स रजवाड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स, मिलकत नं. 14/176, सर्वे न. 1125/4, एफ–1, पर्थ एग्रो, कामली, तह.उंझा, मेहसाना, गुजरात।
5. मैसर्स रजवाड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स, मिलकत नं. 14/176, सर्वे न. 1125/4, एफ–1, पर्थ एग्रो, कामली, तह.उंझा, मेहसाना, गुजरात।

द्वारा अमानक स्तर का Cow Ghee (Amrut) विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51,58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.12.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्तगण को तलब किया गया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।
अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 के अन्तर्गत एवं अप्रार्थीगण की संस्थान से लिया गया सेम्पल किसी भी प्रकार से सबस्टेन्डर्ड की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि अधिनियम की धारा 3(1)) के अन्तर्गत परिभाषा अनुसार इससे खाद्य पदार्थ असुरक्षित नहीं होता है इसलिए यह सबस्टेण्डर्ड की श्रेणी में नहीं आता है। शीर्षक प्रकरण के अन्तर्गत किसी भी उल्लघंना का कारण व आधार विद्यमान नहीं है ना ही पूर्ण रूप से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेम्पल लेते समय कॉलम नम्बर 5(ए) में कोई उल्लेख नहीं किया है तथा ना ही वहां पर सेम्पल लेते समय वहां पर रखी पैकिंग में से हर एक पैंकिंग में से कोई सैम्पल नहीं लिया गया जो कि विधि विरूद्व है। शुद्वता की दृष्टि से अप्रार्थीगण की संस्था से लिया गया सैंपल पूर्णतया शुद्व एवं निर्धारित मानक स्तरों के अनुरूप पाया गया और इनमें किसी प्रकार की कोई मिलावट या अन्य पदार्थ का अंश नहीं पाया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) किसी भी प्रकार से सावित नहीं होती है क्योंकि उसकी परिभाषा के अनुसार एवं तथ्यों तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किये गये प्रकरण के अनुसार अप्रार्थीगण के विरूद्व लागू नहीं होती। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया गया परिवाद सव्यय खारिज फरमाया जावे, आपकी अतिकृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया Cow Ghee (Amrut) का सैम्पल **K-1528** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S.-/744/Act/2022/744 Dated 08.06.2022 अनुसार **Sub-Standard Food & Contravenes Regulation No.2.3.7(2)** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 58 में निर्धारित है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Ghee(Amrut)" bearing Code No and Sr. No. **K-1528,** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar **is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed satandards of Food Safety and Standards** (Food Products Standards and Food Aditives) Regulations 2011and **Substandard Food** as **it is not derived exclusively from Milk or products obtained from Milk as it contains foreign fat (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of Ghee).** The sample is also **contravenes Regulation No. 2.3.7(2)** of Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011 **due to presence of foreign fat.** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण

1. मुरारी लाल मित्तल पुत्र श्री काशीराम मितल, खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स–बालाजी इन्टरप्राईजेज, 1 ए, छोटी, पुरानी धानमंडी, श्रीगंगानगर।
2. आयुषी गुप्ता पुत्री श्री मुकेश गुप्ता, मालिक, मै. राजेन्द्र ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर, 2–3, गणपति नगर श्रीगंगानगर।
3. श्री प्रकाश कुमार केशवलाल पटेल पुत्र श्री केशवलाल पटेल, भागीदार, मैसर्स रजवाड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स, मिलकत नं. 14/176, सर्वे न. 1125/4, एफ–1, पर्थ एग्रो, कामली, तह. उंझा, मेहसाना, गुजरात।
4. श्री नीरव प्रकाश कुमार पटेल पुत्र श्री प्रकाश कुमार पटेल, भागीदार, मैसर्स रजवाड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स, मिलकत नं. 14/176, सर्वे न. 1125/4, एफ–1, पर्थ एग्रो, कामली, तह.उंझा, मेहसाना, गुजरात।
5. मैसर्स रजवाड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स, मिलकत नं. 14/176, सर्वे न. 1125/4, एफ–1, पर्थ एग्रो, कामली, तह.उंझा, मेहसाना, गुजरात।

को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 58 के अन्तर्गत अभियुक्तगण को **राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर